



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE RUHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक: रू.वि.वि/नोडल/2025/41

दिनांक: 08/10/2025

छात्रवृत्ति सूचना

सेवा मे,

प्राचार्य/प्राचार्या (राजकीय/अशासकीय/स्ववित्तपोषित)
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय:- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2024-25 वंचित समस्त वर्गों के छात्रों एवं संस्था के लिए पोर्टल खोले जाने के सम्बद्ध में।

महोदय/महोदया,


उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या 160/2025/2690/26-3-2025-1961934 दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 के क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की समय सारिणी के अनुसार, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से संबन्धित नवीन/पूर्व से संचालित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है, सत्र 2024-25 हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों एवं संस्था के लिए 10 अक्टूबर, 2025 से 14 अक्टूबर, 2025 तक मास्टर डाटा लॉक करने हेतु पोर्टल पुनः खोला जा रहा है, अगर किसी संस्था का मास्टर डाटा डिजिटल लॉक करने से वंचित रह गया है, वह अपनी संस्था का मास्टर डाटा डिजिटल लॉक करके उसकी हार्ड कॉपी नोडल अधिकारी कार्यालय विश्वविद्यालय परिसर में श्री उमेश कुमार के पास दिनांक 17/10/2025 शाम 4:00 बजे तक निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ फाइल जमा कराने का कष्ट करें-

1. कवरिंग लेटर 2. डिजिटल लॉक मास्टर डाटा कॉलेज प्रोफाइल सहित 3. सम्बद्धता पत्र 4. अनुमोदन पत्र (प्राचार्य/प्राचार्या) 5. आइस कोड (AISHE Certificate) 6. आधार कार्ड की छायाप्रति (प्राचार्य/प्राचार्या, नोडल अधिकारी) 7. पैन कार्ड की छायाप्रति (प्राचार्य/प्राचार्या, नोडल अधिकारी) 8. सत्र 2024-25 छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र-छात्राएँ की सूची 9. निम्नलिखित प्रारूप।

क्रम सं०	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम / विषय के नाम	स्वीकृत सीटों की संख्या	सम्बद्धता की स्थिति (स्थायी / अस्थायी)	स्थायी / अस्थायी सत्र

अतः कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि एवं समय तक अपने महाविद्यालय का मास्टर डाटा संलग्नकों सहित जमा कराने का कष्ट करें। उक्तनिर्धारित तिथि के पश्चात मास्टर डाटा को अग्रसरित कर पाना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यदि महाविद्यालय के छात्र-छात्राएँ छात्रवृत्ति हेतु आवेदन भरने से वंचित रह जाते हैं तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।

भवदीय


प्रो० (पी०बी० सिंह)
वि०वि० नोडल अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु

- निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ
- कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड वि०वि० बरेली।
- निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ हेतु।
- प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रो० (पी०बी० सिंह)
वि०वि० नोडल अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक ०८ अक्टूबर, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों के लिए पोर्टल खोला जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2526/स0क0/शिक्षा-अ/9/2025-26 दिनांक 29 मई, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों के लिए पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत वंचित सभी वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु निम्नानुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही		
1	संस्थान द्वारा मास्टर डाटा लॉक करना (कक्षा 11-12 को छोड़कर) मास्टर डाटा में प्रदेश की पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार ऐफिलिएटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	10 अक्टूबर, 2025 से 14 अक्टूबर, 2025 तक
2	विश्वविद्यालय/ऐफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ ऐफिलिएटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना।	18 अक्टूबर, 2025 तक
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना।	26 अक्टूबर, 2025 तक

आप ही
CAO
कृ. नि. क. / स. म. क.
DM/CD0/DB/
2526 का. वि.
2025-26 का. वि.
सूचना विभाग
लखनऊ
6.10.2025

(सिद्धार्थ मिश्र)
सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति)
मुख्यालय

छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रक्रिया		
4	छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन आवेदन	27 अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 तक
5	छात्रों द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना छात्रों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन का फाइनल सबमिशन किया जाना।	01 नवम्बर, 2025 तक
6	हार्ड कापी को छात्रों द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्रों द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	01 नवम्बर, 2025 तक
7	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्रों के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 नवम्बर, 2025 तक
8	विश्वविद्यालय/ऐफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं ऐफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना; अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	03 नवम्बर, 2025 से 06 नवम्बर, 2025 तक
9	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS सॉफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र के लॉगिन पर उपलब्ध कराना।	03 नवम्बर, 2025 से 07 नवम्बर, 2025 तक
10	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना छात्रों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्रों द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	08 नवम्बर, 2025 से 11 नवम्बर, 2025 तक
11	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना शिक्षण संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों के आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12 नवम्बर, 2025 तक
12	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी छात्रों द्वारा सही किए गए सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराना।	13 नवम्बर, 2025 से 18 नवम्बर, 2025 तक
13	जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा	08 नवम्बर, 2025 से 25 नवम्बर, 2025 तक

	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	
14	मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	27 नवम्बर, 2025
15	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/NPCI से मैड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	28 नवम्बर, 2025

3- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुए सुसंगत शासनादेशों/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों को पोर्टल खोलते हुए समयान्तर्गत छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) का भुगतान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0पी0 नॉयल)
मुख्य सचिव।

पू0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।